न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 282 / 2024

अनवान : –

1. संजीवनी पुत्री पवन कुमार जाति जाट निवासी ढिलकी जाटाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. पवन कुमार पुत्र श्रीराम उर्फ श्योराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. नतिन उम्र 14 साल पुत्र पवन कुमार जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर कुदरती बली संरक्षक दादा श्रीराम उर्फ श्योराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान .
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
5. स्नेहा पुत्री पवन कुमार नाबालिग ज़रिये बली माता सुमन पत्नी पवन कुमार निवासी गोगामेड़ी तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री कुलदीप सिंह खुडिरूा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 30/05/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाात स0 171 / 169 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि मे से 1 / 2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 173 / 173 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई / पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जो की प्रार्थी के दादा ने अप्रार्थी स0 1 के बाल्यकाल यानि की 17 साल की उम्र में ही दर्ज करवा दी थी। जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज है। जिसमें सायलान का गैरसायल स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के अकेले के नाम गलत दर्ज होने से गैरसायल स0 1 समस्त भूमि को बेचान कर सायलान को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहता है इसलिए अप्रार्थी स0 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाात स0 171 / 169 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि मे से 1 / 2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 173 / 173 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि में अंतरिम आदेश ... अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की उक्त वाद भूमि के रिकार्ड ... यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:31:50 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 ने जरिये अधिवक्ता मूल वाद में काउंटर क्लेम पेश कर निवेदन किया की उक्त भूमि में अप्रार्थी स0 5 का भी हक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा है प्रार्थी द्वारा मुल वाद व प्रार्थना पत्र पेश करते समय अप्रार्थी स0 5 को पक्षकार ही नही बनाया जबकि उक्त भूमि में अप्रार्थी स0 5 के विरूद्ध जारी अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की उक्त वाद भूमि सायल की दादालाई/पैतृक खातेदारी कृषि भूमि है जो की प्रार्थी के दादा ने अप्रार्थी स0 1 के बाल्यकाल यानि की 17 साल की उम्र में ही दर्ज करवा दी थी। जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर हिन्दु कर्ता खानदान दर्ज है। जिसमें सायलान का गैरसायल स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। उक्त भूमि गैरसायल स0 1 के अकेले के नाम गलत दर्ज होने से गैरसायल स0 1 समस्त भूमि को बेचान कर सायलान को उसके हक हिस्सा से महरूम करना चाहता है इसलिए अप्रार्थी स0 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण स0 5 ने भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हेतु सहमति जाहिर की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाात स0 171/169 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 173/173 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है। अत प्रार्थी व अप्रार्थी की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाात स0 171/169 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 7 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 173/173 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि की अप्रार्थी स0 1 न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.06.16 17:51:50 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर